अत्याश्यक सूचना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(1)2019/कार्मिक/प्रमुवस/ 01-127 दिनांक 15 जनवरी, 2020

निमित,

समस्त वनाधिकारी
वन विभाग राजस्थान सरकार।

विषय :- क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक (क-1/गोप्र) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 13 (76) कार्मिक/क-1/गोप्र/2011 दिनांक 06.01.2020 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज में IPR MODULE द्वारा ऑन लाईन स्वयं द्वारा भरा जाना वांछनीय है। जो राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने तथा आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं किये जाने के निर्देश भी राज्य सरकार के उक्त परिपत्रों में उल्लेखित है।

अतः आप उक्त निर्देशों की पालना करते हुवे अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम को पाबन्द करें कि वे वर्ष 2020 के लिये (दिनांक 01.01.2020 की स्थिति अनुसार) अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित अवधि में उक्त निर्देशानुसार भरकर पालना करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जी.वी. रेड्डी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर